न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.अ.प्र.क्र.–202503260300864/अ–62/2024–25

साकिन विश्रामपुर, तहसील लटोरी

स्टॉफ ऑफिसर (पी एण्ड पी.) एस.ई.सी.एल,
विश्रामपुर क्षेत्र एवं प्राचार्य डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल,
विश्रामपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

............आवेदक

प्रति,

छ.ग. शासन

...............अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांकः– 1 / 4 /2025)

यह प्रकरण आवेदक स्टॉफ ऑफिसर (पी एण्ड पी.) एस.ई.सी.एल विश्रामपुर क्षेत्र एवं प्राचार्य डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल, विश्रामपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा डी.ए.व्ही. स्कूल के मुख्य बिल्डिंग के चारो ओर नीलगिरी, गुलमोहर, जामुन एवं शीशम के अनेक बड़े–बड़े वृक्ष जिसकी शाखाएं कई बार टूट कर गिर चुकी है तथा वर्तमान में कुछ वृक्ष झुके हुए भी है। स्कूल बिल्डिंग पर इन वृक्षों के गिरने की पूरी संभावना है। और कभी भी अनहोनी घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रारम्भ किया गया।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक सूरजपुर के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक–07.03.2025 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक स्टॉफ ऑफिसर (पी एण्ड पी.) एस.ई.सी.एल विश्रामपुर क्षेत्र एवं प्राचार्य डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल, विश्रामपुर, उपतहसील पिलखा क्षेत्र विश्रामपुर की उपस्थिति में डी.ए.व्ही. स्कूल परिसर में स्थित पेंड़ जिसमें नीलगिरी, गुलमोहर, जामुन व शीशम जिनकी शाखाएं एवं कुछ वृक्ष की गिरने की संभावना है उसका मुआयना किया गया व वृक्षों की गिनती की गई। उक्त सभी वृक्ष नीलगिरी संख्या कुल–80, जामुन कुल संख्या–01, शीशम कुल संख्या–01 (सूखा वृक्ष) ग्राम शिवनन्दनपुर की भूमि खसरा नम्बर 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 रकबा क्रमशः 0.680, 0.121, 0.215, 0.008 हे. पर स्थित है। जिनके गिरने की संभावना है जिन्हें काटा जाना उचित प्रतीत होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. राजस्व निरीक्षक के द्वारा अपने प्रतिवेदन साथ ग्राम शिवनन्दनपुर, तहसील लटोरी का खसरा पंचशाला संलग्न किया गया है। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम शिवनन्दनपुर स्थित खसरा नम्बर 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 रकबा क्रमशः 0.680, 0. 121, 0.215, 0.008 हे. भूमि में मौके पर नीलगिरी संख्या कुल–80, जामुन कुल संख्या–01, शीशम कुल संख्या–01 (सूखा वृक्ष) के वृक्ष पाये गये। छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक–11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाईः–(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

अतएव आवेदक स्टॉफ ऑफिसर (पी एण्ड पी.) एस.ई.सी.एल विश्रामपुर क्षेत्र एवं प्राचार्य डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल, विश्रामपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को डी.ए.व्ही.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

स्कूल के मुख्य बिल्डिंग पर इन वृक्षों के गिरने से बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाने तथा जन–धन के क्षति होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उक्त नीलगिरी संख्या कुल–80, जामुन कुल संख्या–01, शीशम कुल संख्या–01 (सूखा वृक्ष) वृक्ष की कटाई को दुर्घटना/जनहानि होने की संभावना होने से जनहित में ग्राम शिवनन्दनपुर स्थित खसरा नम्बर 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 रकबा क्रमशः 0.680, 0.121, 0.215, 0.008 हे. भूमि में मौके पर नीलगिरी संख्या कुल–80, जामुन कुल संख्या–01, शीशम कुल संख्या–01 (सूखा वृक्ष) वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 में दिये गये प्रावधानों के एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान की जाती है।

3.2 शर्तेः–

(एक) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगण वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सूनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्तक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

आज दिनांक– 1 / 4 /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्र./ 2261 /वाचक–1/2025 **सूरजपुर, दिनांक 01 / 03 04 / 2025**

प्रतिलिपि,

1. **वनमण्डाधिकारी, सूरजपुर , जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
2. **तहसीलदार लटोरी एवं नायब तहसीलदार पिलखा क्षेत्र विश्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
3. **आवेदक स्टॉफ ऑफिसर (पी एण्ड पी.) एस.ई.सी.एल विश्रामपुर क्षेत्र एवं प्राचार्य डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल, विश्रामपुर, तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर (छ.ग.)**

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)